संख्या-03/2021/33/77-3-2021-153(एम)/2018टीसी

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 जनवरी, 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कारिडोर परियोजना के विकास हेतु जनपद अलीगढ़ के ग्राम अण्डला, तहसील खैर में वन विभाग द्वारा परियोजना परिसर में किये गये वृक्ष पातन के फलस्वरूप शेष रह गयी जड़ों की निकासी एवं पूरे परियोजना स्थल की सफाई (सी एण्ड जी) के कार्य हेतु धनराशि की मांग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13926/यूपीडा/तकनीकी दिनांक 31.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के साथ डिफेन्स कारिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' मद में प्राविधानित धनराशि रू. 150.00 करोड़ में से डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कारिडोर के विकास हेतु जनपद अलीगढ़ के ग्राम अण्डला, तहसील खैर में डिफेन्स कारिडोर के विकास हेतु वन विभाग द्वारा परियोजना परिसर में किये गये वृक्ष पातन के फलस्वरूप शेष रह गयी जड़ों की निकासी एवं पूरे परियोजना स्थल की सफाई (सी एण्ड जी) के कार्य के भुगतान हेतु प्रस्तावित परियोजना लागत रू. 79.36 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 79.36 लाख (रू0 उन्यासी लाख छत्तीस हजार मात्र) निर्गत कर यूपीडा़ के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) प्रायोजना की आवश्यकताओं एवं औचित्य के आधार पर प्रस्तावित कार्यो का क्रियान्वयन सुसंगत वित्तीय नियमों/विनियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(4) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020 -231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/ दस-2020-231/2020, दिनांक 11.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक ''5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कारिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या-ई-6-33/दस-2021 दिनांक 15.01.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-03/2021/33(1)/77-3-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य अभियन्ता (का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, बेनाझावर रोड़, कानपुर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।